

कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूँटी

अधिसूचना संख्या- 03/2024

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी के द्वारा कुल 10 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रपत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या सिविल कोर्ट खूँटी के अधिकारिक वेबसाईट <https://khunti.dcourts.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है:-

- आवेदन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, खूँटी 835210 के पता पर स्वीकार किए जाएंगे।
- आवेदन सूचना की तिथि से लेकर दिनांक-12/12/2024 समय 04:30 अपराहन तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

कौन आवेदन दे सकता है- जिला खूँटी के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष/अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रुचि रखते हैं या उनके लिए स्वेच्छिक सेवा करना चाहते हैं, जैसे- कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक, कार्यरत या सेवानिवृत्त डॉक्टर, कार्यरत या सेवानिवृत्त फौजी एवं किन्नर जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रुची रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पी0एल0वी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझें।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य:- पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पिड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया जाए।

पदों की संख्या:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी के द्वारा कुल 10 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अन्तिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी का होगा।

उम्र सीमा:- न्यूनतम 18 वर्ष।

शैक्षणिक योग्यता:- मैट्रिक अथवा समकक्ष।

मानदेय:- पी0एल0वी के कार्य पूर्णतः अस्थायी है एवं कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा- निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 700-(सात सौ रूपया) प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है




जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु होगा तथा यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु निर्देशित करती है या स्वयं सेवक अपने क्षेत्रों से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

पात्रता/योग्यता:— 1. आवेदक भारत का नागरिक हो 2. आवेदक खूँटी जिला का निवासी हो 3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो 4. अच्छा चरित्र का हो 5. समाज सेवा में रुचि रखता हो 6. किसी आपराधिक मामले का आरोपी/दोषी सिद्ध न हो।

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर साथ ही स्वपता लिफाफा 42रु. का डाक टिकट चिपकाकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, खूँटी के कार्यालय में पंजीकृत डाक से या हाथों-हाथ अन्तिम तिथि 12/12/2024 की संध्या 05:00 बजे अनराहन् तक जमा कर सकते हैं। अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अपूर्ण/अधुरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता—सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, खूँटी पिन न0-835210.

पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है

(पारा विधिक स्वयं सेवक में चयन नियुक्ति नहीं है। आप किसी स्थायी/अस्थायी/अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी नहीं हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ने सहयोग देने हेतु स्वयं सेवक हैं।)

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. वर्तमान पता :

स्व अभिप्रमाणित फोटो

4. स्थायी पता (मोबाईल नम्बर सहित):

5. जन्म तिथि :

6. शैक्षणिक योग्यता :

(शैक्षणिक संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं कार्य अनुभव हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

7. आवेदक निम्न में से किस श्रेणी का है—

1. कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक
2. कार्यरत या सेवानिवृत्त डॉक्टर,
3. कार्यरत या सेवानिवृत्त फौजी
4. किन्नर

5. आवेदक के विरुद्ध लंबित मुकदमा में आवेदनकर्ता (आवेदक/ विपक्षी) क्या है?

(यदि मुकदमा लंबित है तो न्यायालय का नाम तथा अपराध की धराएँ, आवेदक जमानत पर है या नहीं)

6. आवेदक का किसी न्यायालय से दोष सिद्ध किया गया है/ आवेदक किसी मामले में फरार चल रहा है।

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :